



# फर्द अहकाम

शाब्दिक न्याय बनाम ३ यादव पर्व

म न्यायालय

स संख्या

186/201

पाउ

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>शाब्दिक न्याय के द्वारा कलेज                      नहीं किया जाने के कारण व                      शाब्दिक से उक्त पाउ कारक                      को प्रमाण नहीं पाया जा रहा है                      किसी विपरीत के बयानों के                      अभाव में शाब्दिक के विरुद्ध                      पाउ के कोई बयान नहीं दिए                      जाते कि विरुद्ध नहीं होने                      से पाउ का पाउ अस्वीकार                      किया जाने योग्य है।</p> <p>इसलिए पाउ का पाउ उक्त                      विवेकानंद साहब अस्वीकार कर                      अपील किया जा रहा है। इसी                      पचा दृष्टक से पाउ को प्रमाणित                      प्रमाण बगैरे होकर उक्त पाउ                      से का बोलना शाब्दिक दावे है।</p>	

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओं 20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व  
अजलास राहुल जैन आईएएस

1 शम्भूदयाल पुत्र सुवालाल, जाति धोबी, निवासी माउण्डा कलां तहसील नीमकाथाना,  
जिला सीकर हाल निवासी ग्राम मालेरा, पटवार हल्का म्हारकलां तहसील चौमू।

वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र सूरजाराम
  2. राजाराम पुत्र दानाराम
  3. शंकरलाल पुत्र यावरराम
  4. हजारि लाल पुत्र दानाराम
- समस्त जाति जाट, हाल निवासी ग्राम मालेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
5. मुख्तासार सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, जाति सिक्ख, हाल निवासी मालेरा तहसील चौमूं।
  6. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तक्रारामा, घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 186/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रुबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि चुकि उक्त वाद में मुताबिक पटवारी रिपोर्ट के पक्षकारान का आधीपत्य नही होने तथा अन्य व्यक्तियों के मौके काबिज होने तथा वाद में बेदखली को कोई अनुतोष वादी के द्वारा क्लेम नही किये जाने के कारण व आधार से उक्त वाद कानूनन पोषणीय नही होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।


बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 11.10.2021 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत .....  
ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1		स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान	0	0
मीजान	2				

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

  
राहुल जैन  
(आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर